# घग्घर जल

## चर्चा में क्यों?

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा गठित एक संयुक्त समिति ने पाया कि घग्गर नदी का जल नहाने के लिये अनुपयुक्त है। समिति ने नदी में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD) का स्तर निर्धारित सीमा से **अधिक** पाया।

## मुख्य बिंदु

- **सर्वेक्षण और नमूना संग्रहण:**
  - समिति के सदस्यों और विभाग के प्रतिनिधियों ने सुखना चोई में प्रदूषण स्रोतों की पहचान करने के लिये दिसंबर 2023 में एक सर्वेक्षण किया।
  - सर्वेक्षण से पता चला कि हरियाणा में मनसा देवी कॉम्प्लेक्स, राजीव कॉलोनी और इंदिरा कॉलोनी के साथ-साथ सोही बैंक्वेट हॉल के पास की झुग्गियाँ ठोस और तरल अपशिष्ट को सीधे तौर पर सीवर में छोड़ रही हैं।
  - समिति ने विकास नगर पुल पर पंचकूला नाले से नमूने एकत्रित किये, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि **BOD (बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड/ जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग)** और TSS (कुल निलंबित ठोस/ टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स) का स्तर अंतर्देशीय सतही जल निर्वहन के लिये पर्यावरणीय मानकों से अधिक था।
- **घग्गर नदी में प्रदूषण का स्तर:**
  - समिति ने ज़ीरकपुर में अंबाला-चंडीगढ़ राजमार्ग पुल के पास, जहाँ सुखना चोई नदी घग्गर नदी में मिलती है, घग्गर नदी के ऊपरी और निचले हिस्से से जल के नमूने एकत्र किये।
- **निष्कर्ष:**
  - pH मान बाहरी स्नान के लिये स्वीकार्य सीमा के भीतर थे।
  - दोनों स्थानों पर BOD का स्तर बाहरी स्नान के लिये प्राथमिक जल गुणवत्ता मानदंड को पूरा करने में विफल रहा।
- **अनुशंसाएँ:**
  - चंडीगढ़ नगर निगम को चाहिये कि:
    - नालियों की नियमित सफाई सुनिश्चित करना।
    - **ठोस अपशिष्ट को गिरने से रोकने के लिये उन पुलिया बिंदुओं पर लोहे की जालियाँ** लगाई जाएँगी जहाँ सड़कें नाले को पार करती हैं।
- **प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को चाहिये कि:**
  - सीवेज उपचार संयंत्रों (STP) का उचित **संचालन और रखरखाव सुनिश्चित करना।**
  - घग्गर नदी में **अनुपचारित अपशिष्ट के निपटान को रोका जाए।**
- **पंचकूला नगर निगम को चाहिये कि:**
  - सुनिश्चित करना कि एसटीपी कुशलतापूर्वक कार्य करें तथा नालियों के माध्यम से सुखना चोई में अनुपचारित अपशिष्ट को प्रवेश करने से रोकें।

## जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (BOD)

- BOD, जल में कार्बनिक पदार्थों के चयापचय की जैविक प्रक्रिया में **सूक्ष्मजीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है।**
- जितना **अधिक कार्बनिक पदार्थ** होगा (जैसे, सीवेज और प्रदूषित जल निकायों में), उतना **अधिक BOD होगा** ; और जितना अधिक BOD होगा, मछलियों जैसे उच्चतर पशुओं के लिये **घुलित ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ही कम उपलब्ध होगी।**
- इसलिये BOD **किसी जल निकाय के जैविक प्रदूषण का एक विश्वसनीय माप है।**

//

# राष्ट्रीय हरित अधिकरण

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन मामलों के त्वरित समाधान हेतु एक विशेष निकाय है।

## परिचय

- **स्थापना:** राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत
- **उद्देश्य:** पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधन संबंधी मामलों का त्वरित समाधान
- **मामले का समाधान:** 6 माह के अंदर
- **मुख्यालय:** **नई दिल्ली (मुख्यालय)**, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई

## संरचना

- **संरचना:** अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य
- **कार्यकाल:** 5 वर्ष तक/65 वर्ष की आयु तक (पुनर्नियुक्ति नहीं)
- **नियुक्तियाँ:** अध्यक्ष - केंद्र सरकार (भारतीय मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से)
  - 10-20 न्यायिक सदस्य और 10-20 विशेषज्ञ सदस्य - चयन समिति

**भारत विश्व स्तर पर तीसरा देश है (ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड के बाद) साथ ही NGT जैसा विशेष पर्यावरण अधिकरण स्थापित करने वाला पहला विकासशील देश भी है।**

## शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र

- **अधिकार क्षेत्र:** पर्यावरण संबंधी मुद्दों और अधिकारों पर दीवानी मामले
- **स्वप्रेरणा से अधिकार (Suo Motu Powers):** वर्ष 2021 से प्रदान किये गए
- **भूमिका:** न्यायिक, निवारक और उपचारात्मक
- **प्रक्रिया:** प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करता है
  - CPC, 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के तहत बाध्य नहीं
- **सिद्धांत:** सतत् विकास; निवारक (Precautionary); प्रदूषक भुगतान (Polluter Pays)
- **आदेश:** सिविल कोर्ट के आदेशों के अनुसार निष्पादन योग्य; राहत और मुआवज़ा प्रदान करता है **(निर्णय बाध्यकारी हैं)**
- **अपील:** अधिकरण अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है।
  - यदि निर्णय विफल हो जाता है - 90 दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जानी चाहिये

## NGT निम्नलिखित के तहत सिविल मामलों का समाधान करता है

- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
- वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991
- जैव-विविधता अधिनियम, 2002

Drishti IAS

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/ghaggar-water